अनवान लिवरूप कौर बनाम राजवीर सिंह
वाद मुकदमा नं.21 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आरएएस

वाद पत्र संख्या 21 / 2024

अन्तर्गत धारा 88 188 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. लिवरूप कौर पुत्री श्री राजवीर सिंह जाति जट सिख उम्र 11 वर्ष निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.) नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता राजवीर कोर पत्नी राजवीर सिंह
2. गुरवाणी कौर पुत्री श्री राजवीर सिंह जाति जटसिख उम्र 06 वर्ष निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता राजवीर कौर पत्नी राजवीर सिंह
3. राजवीर कौर पत्नी राजवीर सिंह जाति जटसिख उम्र 34 वर्ष निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)

...... वादीगण

बनाम

1. राजवीर सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी लठ्ठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. गुरजीत कौर पत्नी बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी लठ्ठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. पवनदीप कौर पुत्री बूटा सिंह पत्नी हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी लठ्ठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी विला पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. सन्दीप कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी लठ्ठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)
5. पवनीश कौर पुत्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी लठ्ठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सन्दीप कौर
6. कैशम कौर पुत्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सन्दीप कौर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

7. हरनव सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी लठ्ठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0) नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सन्दीप कौर
8. एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री बलराम सुथार — वादी
अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रपाल सिंह — प्रतिवादी 8
पैरोकार राज — (प्रति.9)
प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.02.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण सख्या– 1 व 2 के दादा व वादी संख्या– 3 के ससुर बूटा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह के नाम चक 10 एमएल के खाता संख्या– 69/60 व इसी चक के खाता संख्या–19/17 के मुरब्बा नम्बर–17 के किला नम्बर–13/2 से 25 तक 3.162 हैक्टेयर एवं इसी चक के मुरब्बा नम्बर–29 के किला नम्बर– 16 ता 25 में 2.530 है. कुल 5.692 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी और बूटा सिंह के देहान्त होने के बाद उपरोक्त आराजी बूटा सिंह के पुत्र गुरप्रीत सिंह व राजवीर सिंह के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हुई जिसमें राजवीर सिंह व गुरप्रीत सिंह ने आपसी सहमति से बंटवारा कर उक्त आराजी अपने अपने नाम अलग–अलग खातों में दर्ज करवा ली जिसमें खाता संख्या– 69/60 जोकि राजवीर सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है व खाता संख्या–19/17 जोकि गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रति सलंग्न है । उपरोक्त आराजी के अलावा भी बूटा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह के नाम चक 10 एम एल में करीब 82 बीघा जमीन थी जिसे बेचकर चक 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ में 48 बीघा जमीन खरीद की और वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर बहिस्सा बराबर बराबर काश्त कर रहे है। वादीगण के पिता व पति राजवीर सिंह का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है और प्रतिवादी संख्या– 3 पवनदीप कौर की शादी उक्त आराजी की आय से की गयी और प्रतिवादी संख्या– 3 की शादी में काफी दान दहेज भी उक्त आराजी की आय से दिया गया। इसलिए प्रतिवादी संख्या– 3 द्वारा अपना हिस्सा मौखिक रूप से प्रतिवादी संख्या– 12 एवं प्रतिवादी संख्या– 4 ता 7 के हक में छोड़ दिया जिससे वादीगण के पिता व पति का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा बनता है और वादीगण अपने पिता से उक्त आराजी में अपना 1/3–1/3 हिस्सा व वादीया संख्या– 3 जोकि प्रतिवादी संख्या– 1 की पत्नी है, का 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या–1 नशेड़ी प्रवृति का व्यक्ति है और आये दिन नये नये नशे करता है और वादीगण से अक्सर मारपीट करता रहता है इस कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या – 1 से अलग निवास कर रहे है परन्तु उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण पर अनुचित दबाव बना रहा है और धमकीयां दे रहा है कि उक्त आराजी को मैं बेचान कर दूंगा। जबकि उक्त आराजी जद्दी जायदाद होने के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कारण वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरेलू मौखिक पंचायत हुई। मौखिक बंटवारे अनुसार वादीगण को चक 2 केएसपी तहसील टिब्बी के अलावा चक 10 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–69/60 के मुरब्बा नम्बर–17 के किला नम्बर–19/2 में 0.0630 हैक्टेयर, किला नम्बर–20 ता 25 कुल 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण संख्या–1 व 2 के हिस्सा में आयी इसके अलावा इसी चक के खाता संख्या– 19/17 के मुरब्बा नम्बर–17 के किला नम्बर– 13/2 में 0.126, 14, 15, 16,17,18 प्रत्येक सालम एवं 19/1 में 0.190 हैक्टेयर कुल 1.581 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण संख्या– 1 व 2 के हिस्सा में आयी हुई है जोकि राजस्व रिकार्ड में गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिनका देहान्त हो चुका है और उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है और पारिवारिक बंटवारे अनुसार जो जमीन वादीगण के हिस्सा में आयी उसका कब्जा मौके पर वादीगण को सुपुर्द कर दिया गया। वादी संख्या 1 व 2 नाबालिग होने के कारण अपनी माता राजवीर कौर के साथ रहते है और उक्त आराजी की देखभाल भी वादी संख्या – 3 द्वारा की जा रही है और वादी संख्या 1 व 2 का पालन पोषण इसी जमीन की आय से वादी सं. 3 द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 10 एम एल के खाता संख्या–69/60 के मुरब्बा नम्बर–17 के किला नम्बर – 19 /2 में 0.063 है., किला नम्बर 20 ता 25 की कुल 1.581 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है व इसी के किला नम्बर 13/2 से 19/1 की 1.581 हैक्टेयर रकबा मुरब्बा गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जोकि पारिवारिक बंटवारे अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा में आयी हुई है और जिसका कब्जा काश्त वादीगण द्वारा शान्तिपूर्वक किया जा रहा है और उक्त कृषि भूमि की देखभाल भी वादीगण द्वारा की जा रही है और काफी रूपया खर्चा करके उक्त आराजी को उपजाऊ भी वादीगण द्वारा बनाया गया है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से आग्रह किया कि पारिवारिक बंटवारे अनुसार हमारे हिस्सा में आयी कृषि भूमि को हमारे नाम करवा देवें परन्तु प्रतिवादीगण हर बार टाल मटोल करते रहे और प्रतिवादी संख्या – 1 जोकि वादीगण का पिता व पति है जोकि नशेड़ी है एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह जिनका देहान्त हो चुका है और उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है जो वादीगण को उनके हिस्सा मे आयी कृषि भूमि को वादीगण के नाम करवाने से दिनांक 17/12/2023 को स्पष्ट रूप से इन्कारी हो गये इसलिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है और वादीगण द्वारा बिना देरी श्रीमान जी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उपरोक्त आराजी काफी उपजाऊ होने के कारण एवं बाजार मूल्य बढ़ने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मन में गलत लालच आ गया है और इसी लालचवश प्रतिवादी संख्या 1 से 7 लोगों के बहकावें में आकर गलत तौर से वादी की उपरोक्त भूमि में मदाखलत करने तथा मुंतकिल करने के प्रयास में है जबकि उसका कोई हक हिस्सा नहीं बनता है, यदि वह अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अतः दावा लाना आवश्य हो गया है। उपरोक्त भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या–8 के पास उक्त भूमि रहन है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या– 9 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी पेश करके अर्ज है कि वाद पत्र वादी, वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे : –

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 10 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–69/60 के मुरब्बा नम्बर–17 की किला नम्बर–19/2 ता 25 की 1.581 हैक्टेयर एवं चक 10 एम एल के खाता संख्या – 19/17 के मुरब्बा नम्बर– 17 की किला नम्बर–13/2 ता 19/1 की 1.581 हैक्टेयर कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादीगण को हकदार मानते हुए उनके नाम राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) यह कि डिक्री अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 10 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–69/60 के मुरब्बा नम्बर–17 की किला नम्बर 19/2 ता 25 की 1.581 हैक्टेयर एवं चक 10 एम एल के खाता संख्या–19/17 के मुरब्बा नम्बर–17 की किला नम्बर– 13/2 ता 19/1 की 1.581 हैक्टेयर कुल 3.162 हैक्टेयर कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने तथा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में स्वंय अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की तलबी विधिवत होने के पश्चात् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिनमें अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 राजवीर सिंह पुत्र बूटा सिह की कृषि भूमि उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा श्रीगंगानगर के पक्ष में रहन रखी हुई है व ऋण प्राप्त किया हुआ है। अतः मुझ प्रतिवादी संख्या 8 के हितों पर विपरीत प्रभाव न पडे, क्योंकि उक्त भूमि एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा श्रीगगानगर के रहन रखी हुई है।

वादीगण में साक्ष्य वादी में राजवीर कौर पत्नी राजवीर सिंह जाति जट सिख उम्र 34 वर्ष का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 1 नाम भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा निहित हो। वादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत दावा अपने पिता की भूमि के अतिरिक्त अपने पिता के भाई की भूमि में हिस्सा की मांग की गई जो कि जो की कानून व विधि के विरूद्ध है। मुरबा नम्बर 19 की भूमि के सम्बन्ध में वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन होने एवम् मुरबा नम्बर 19 की भूमि पर स्थगन होने के कारण मुरबा नम्बर 19 की भूमि के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया जा सकता है। वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है जो अपने पति से हिस्सा का मांग नहीं कर सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अनवान लिवरूप कौर बनाम राजवीर सिंह
वाद मुकदमा नं.21 / 2024

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18.02.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर (राजस्व)
श्रीगंगानगर